विधान परिषद के तृतीय सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डॉ0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
23 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि भारत का संविधान कहता है कि क्षेत्र, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जायेगा, इसके पश्चात् भी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा लाखों छात्र/छात्राओं से भेदभाव किया जा रहा है?	जी नहीं।
(ख) सरकारी स्कूलों में पढ़ने पर इन छात्रों को निःशुल्क भोजन, बैग, जूते, पुस्तक, ड्रेस दी जाती है इसके विपरीत अच्छी शिक्षा लेने के लिये यदि यही छात्र वित्त विहीन स्कूलों में पढ़ते हैं तो इन छात्रों को इस सुविधा से वंचित कर दिया जाता है?	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। उक्त व्यवस्था शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से लागू किये जाने का प्राविधान है। यदि कोई अभिभावक अपने बालक का प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा-2(ढ)(iv) में परिभाषित विद्यालयों में कराता है तो वह अधिनियम की धारा-8(1) के परन्तुक में दिये गये प्राविधान के अनुसार उसकी शिक्षा में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। धारा-8(1)के परन्तुक में निम्नवत् प्राविधान है:-

	परन्तु जहॉ किसी बालक को यथास्थिति उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गई निधियों द्वारा सारवान रूप से वित्त पोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, जहां ऐसा बालक या यथास्थिति उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
(ग) उक्त असमानता, भेदभाव कब तक खत्म होगी?	तदैव
(घ) उक्त का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-2 व धारा-8(1) के परन्तुक में स्पष्ट प्राविधान किया गया है।

संदीप सिंह

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बेसिक शिक्षा।